दिनांक 21.03.2021
प्रेस विज्ञप्ति 21/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना कोतवाली टाण्डा

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 303 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 20.03.2021 की रात्रि थाना कोतवाली टाण्डा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पैथोलिया हाइवे के पास से चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। बदमाश द्वारा की गई फायरिंग में उ0नि0 सर्वेन्द्र अस्थाना घायल हो गये, पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में बदमाश दिनेश उर्फ छोटू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 303 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानो में डकैती, चोरी, धोखाधड़ी आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली टाण्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 07/2021 धारा 419/420/467/468/471/41/411 भादवि व थाना बसखारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 36/2021 धारा 395 भादवि, मु0अ0सं0 37/2021 धारा 395 भादवि, मु0अ0सं0 38/2021 धारा 395 भादवि में वाछिंत चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना टाण्डा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—दिनेश उर्फ छोटू निवासी टैनी थाना पवई जनपद आजमगढ। स्थाई पता शाहपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 303 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल।

<u>जनपद कानपुर नगर/थाना फीलखाना</u>

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी का लगभग 50 ग्राम सोना**
- **01 लाख 50 हजार रूपये नगद**
- **07 मोबाइल फोन**
- **01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 21.03.2021 को थाना फीलखाना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 05 अभियुक्तों तपन जाना, 2—महबूब, 3—राजेश, 4—शुभेन्दू, 5—शेख सलीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के लगभग 50 ग्राम सोना, 01 लाख 50 हजार रूपये नगद, 07 मोबाइल फोन, 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.03.2021 की रात्रि वादी के घर हुई चोरी की घटना के सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर थाना फीलखाना पर मु0अ0सं0 08/2021 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना फीलखाना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—तपन जाना निवासी निवेदिया पल्ली थाना कोतवाली मेदनीपुर जनपद मेदनीपुर पश्चिम बंगाल।

2—महबूब हसन निवासी भरतपुर थाना दासपुर जनपद मेदनीपुर पश्चिम बंगाल।

3—राजेश निवासी भरतपुर थाना दासपुर जनपद मेदनीपुर पश्चिम बंगाल।

4—शुभेन्दू संकी निवासी मोयल बोंदीपुर थाना खानाकुल आरमबाग जनपद हुगली पश्चिम बंगाल।

5—शेख सलीम निवासी श्रीराम नगर थाना दासपुर जनपद मेदनीपुर पश्चिम बंगाल।

बरामदगी

1—चोरी के लगभग 50 ग्राम सोना।

2—01 लाख 50 हजार रूपये नगद।

3—07 मोबाइल फोन।

4—01 चार पहिया वाहन आदि।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना गढिया रंगीन

- **02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 75 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलो अफीम**
- **02 अवैध तमंचा, 04 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 20/21.03.2021 की रात्रि थाना गढिया रंगीन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रामपुर खादर पुल के पास से चेकिंग के दौरान 02 मादक पदार्थ तस्कर 1—मदनपाल, 2—रामनिवास को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 75 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलो अफीम फाईन क्वालिटी, 02 अवैध तमंचा, 04 जीवित कारतूस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना गढिया रंगीन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मदनपाल निवासी दियोरई थाना आलापुर जनपद बदायूं।

2—रामनिवास निवासी दियोरई थाना आलापुर जनपद बदायूं।

बरामदगी

1—लगभग 75 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलो अफीम।

2—02 अवैध तमंचा, 04 जीवित कारतूस।

जनपद गाजियाबाद/थाना विजयनगर

- **04 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी के 10 दो पहिया वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 20.03.2021 की रात्रि थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विजय नगर तिराहा के पास से चेकिंग के दौरान 04 शातिर वाहन चोर 1—केशव, 2—राहुल, 3—अमित, 4—तौफीक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 10 दो पहिया वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जनपद गाजियाबाद के विभिन्न थाना क्षेत्रो से दो पहिया वाहनो की चोरी कर उनके नम्बर प्लेट बदल कर ग्रहक मिलने पर सस्ते दामो पर बेच देते थे।

इस सम्बन्ध में थाना विजयनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—केशव निवासी चाऊपुर थाना निजोडा जनपद सम्भल।

2—राहुल निवासी सुदामापुरी थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद।

3—अमित निवासी ब्रजघाट थाना गढ़मुकटेश्वर जनपद हापुड।

4—तौफीक निवासी सुदामापुरी थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

1—चोरी के 10 दो पहिया वाहन।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस आदि।

जनपद मेरठ/थाना किठौर

- **पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 20.03.2021 की रात्रि थाना किठौर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कायस्थबडढा पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मोमीन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य बदमाश मौके से फरार हो गये जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना किठौर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—मोमीन निवासी कायस्थबडढा थाना किठौर जनपद मेरठ।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

<u>जनपद अयोध्या/थाना कोतवाली</u>

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **52 किलो अवैध गांजा**
- **02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 21.03.2021 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सूर्या पैलेस के पास से चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1—राजेश, 2—विनोद, 3—रामकुमार, 4—आदर्श को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 52 किलो अवैध गांजा, 02 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—राजेश निवासी सीताराम का पुरवा गंजा थाना पूराकलन्दर जनपद अयोध्या।

2—विनोद निवासी गोकरन शिवाला थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

3—रामकुमार निवासी मेदौना मठीया थाना इनायतनगर जनपद अयोध्या।

4—आदर्श निवासी तकिया कालू थाना भीटी जनपद अम्बेडकरनगर।

<u>बरामदगी</u>

1—52 किलो अवैध गांजा।

2—02 मोटर साइकिल।

एसटीएफ— जनपद अयोध्या के थाना क्षेत्र रौनाही में चल रही अवैध अंग्रेजी शराब फैक्ट्री का एसटीएफ ने किया भण्डाफोड़, भारी मात्रा में देशी शराब, स्प्रिट एवं अन्य उपकरण बरामद। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व सन्निकट त्योहारो के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशो के क्रम में शराब माफियाओ के विरूद्ध चलाये गये अभियान के दौरान मिली कामयाबी।

दिनांक 21—03—2021 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब जनपद अयोध्या के थाना क्षेत्र रौनाही में छापा मारकर अवैध रूप से चल रही शराब फैक्ट्री का भडाफोड़ व कई अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

अभियुक्तों का विवरणः—

1— पुष्कर जायसवाल पुत्र स्व0 वीरेन्द्र कुमार जायसवाल नि0 बेनीगंज, थाना अयोध्या, जनपद अयोध्या।

2— राकेश कुमार जायसवाल पुत्र शिवशंकर जायसवाल नि0 बनगांव, थाना तरबगंज, गोण्डा।

3— सुनील जायसवाल पुत्र शिवशंकर जायसवाल नि0 बनगांव, थाना तरबगंज, गोण्डा।

4— श्यामू यादव पुत्र रामकुमार नि0 कटहा लमहुती, थाना मनिकापुर, गोण्डा।

5— रामू यादव पुत्र रामकुमार नि0 कटहा लमहुती, थाना मनिकापुर, गोण्डा।

बरामदगीः—

1— 255 पेटी अवैध देशी शराब। (11,475 बोतल 200 एमएल)

2— 44 ड्रम स्प्रिट। (9680 लीटर)

3— 22 अदद खाली स्प्रिट के ड्रम (220 लीटर)

4— लगभग एक लाख विभिन्न ब्राण्ड के ढ़क्कन।

5— 50,000 (लगभग) छोटी बोतलें

6— 01 अदद एल्कोहल मीटर। सान्द्रता मापक।

7— 07 बोतल FAB ओरेंज स्वीट।

8— भारी मात्रा में क्यू0आर0 कोड बण्डल।

9— 65,000 रैपर (पावर हाउस ब्राण्ड 200 एमएल)

10— 25,000 रैपर (वॉह ओरेंज ब्राण्ड 200 एमएल)

11— 50,000 खाली गत्ता। जिस पर सेल फार यूपी लिखा हुआ।

12— 500 लीटर की 03 टंकी तैयार देशी शराब।

13— 02 सेट आर0ओ0 प्लान्ट एक्वा साईन।

14— 01 अदद जनरेटर होण्डा।

15— रू0 5,500—00 नगद।

16— 02 अदद ईको वैन।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व सन्निकट त्योहारो के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशो के क्रम में अपर पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ उ0प्र0 श्री अमिताभ यश एवं प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सिंह के निर्देशन मे श्री राजेश कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में कार्य कर रही टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी, इसी दौरान ज्ञात हुआ कि थाना रौनाही क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सलारपुर मे अवैध शराब का निर्माण व भण्डारण किया जा रहा है, साथ ही साथ अयोध्या सहित निकटवर्ती जनपदों मे आपूर्ति भी की जा रही है। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व सन्निकट होली के त्यौहारो पर इस अप–मिश्रित शराब को खपाने की बड़ी योजना भी है। प्राप्त इस ठोस सूचना पर उ0नि0 घनश्याम यादव एवं करूणेश पाण्डेय के नेतृत्व मे टीम गठित कर जनपद अयोध्या के लिए रवाना किया गया। एसटीएफ टीम द्वारा आबकारी विभाग एसओजी एवं स्थानीय पुलिस को सूचना से अवगत कराते हुये एसटीएफ टीम द्वारा आबकारी व स्थानीय पुलिस के सहयोग से ग्राम सलारपुर में बने एक गोदाम में छापा मारा गया तो अन्दर अवैध रूप से भारी मात्रा में निर्मित/अर्द्धनिर्मित शराब की बोतले पायी गयी, जिस पर मौजूद व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी निशादेही पर उपरोक्त अंकित बरामदगी हुयी।

पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि यह गोमद पुष्कर जायसवाल उपरोक्त का है। अभियुक्तों ने बताया कि पंचायत चुनाव व होली त्यौहार के अवसर पर पुष्कर जायसवाल पुत्र स्व0 वीरेन्द्र कुमार जायसवाल नि0 बेनीगंज, थाना अयोध्या, जनपद अयोध्या द्वारा उपरोक्त बरामद समस्त माल का निर्माण व भण्डारण काफी दिनों से कराया जा रहा है। स्प्रिट मे पानी, कलर व अन्य केमिकल मिलाकर शराब तैयार की जाती है, जिसे बोतलो मे भरकर सिलिंग मशीन के माध्यम से ढक्कन को सील कर देते है तथा बोतलों के ऊपर मॉग के अनुरूप विभिन्न ब्राण्ड के रैपर छिपका दिये जाते है। काम इतनी सफाई से किया जाता है कि सामान्यतः देखने वाले को असली शराब होने का आभास होता है। स्प्रिट व अन्य मिश्रण अंदाजे से मिलाये जाते है।

उक्त संदर्भ में थाना रौनाही, जनपद अयोध्या मे मु0अ0सं0 133/2021 धारा 60/72 आबकारी एक्ट एवं 272, 419, 420, 34 भादवि व 67 कापी राइट एक्ट का अभियोग एसटीएफ के उप निरीक्षक द्वारा पंजीकृत कराया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा प्रचलित है।

————————